


तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  <b>लक्ष्मणसिंह बनाम गोपालदान</b>  <b>31 / 2015 (जीसीएमएस नम्बर 2015 / 00018)</b></p>	<p>नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस  हुक्म की तामील में  जारी हुए</p>
17.11.21	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2015 से विचाराधीन चल रहा है तथा अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(दिनेश कुमार यादव)</b>  संभागाध्यक्ष आयुक्त,  जयपुर। </p>	